झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश संख्याः—5/आरोप—1—164/2017 का० ..../राँची, दिनांक .... नवम्बर, 2018

श्री चन्दन, झा0प्र0से0 (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केरेडारी, हजारीबाग के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक—5337, दिनांक 18.10.2017 द्वारा अनधिकृत रूप से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र—'क' में गठित कर उपलब्ध कराते हुए इन्हें निलंबित करने एवं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं0—12015, दिनांक 08.12.2017 द्वारा श्री चन्दन को निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया गया।

3. श्री चन्दन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0—2431, दिनांक 11.04.2018 द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए आरोप मुक्त किया गया।

4. इस प्रकार, श्री चन्दन दिनांक—08.12.2017 से दिनांक—11.04.2018 तक निलंबित रहे हैं, अतः समीक्षोपरांत इनके निलंबन अवधि दिनांक—08.12.2017 से दिनांक—11.04.2018 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम—11 के तहत् कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(अशोक कुमार खेतान)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—5/आरोप—1—164/2017 का0—8666/राँची, दिनांक 28 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपि— नोडल पदाधिकारी, ई—गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय अपर मुख्य सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, हजारीबाग/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हजारीबाग/कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, राँची/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा—3 एवं 4/अवर सचिव, प्रशाखा—5 एवं 6/श्री चन्दन, पिता— श्री उमा शंकर प्रसाद, पता— Quarter No. G5-4, Near Rankini Mandir, P.O.+ P.S.- Kadma, जिला—पूर्वी सिंहभूम, पिन—831005 (झारखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/11/18

सरकार के संयुक्त सचिव।